

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 93 प्रपत्र पर जानकारी

परिशिष्ट - 4 पृष्ठ

| स.क्र | जिले का नाम | अपराध क्रमांक धारा एवं | आरोपी लोक सेवक का नाम | अभियोजन स्वीकृति प्राप्त होने का विवरण | अभियोजन स्वीकृति अग्रपक्ष होने की स्थिति | चालान प्रस्तुति का दिनांक | वर्तमान पदस्थापना |
|-------|-------------|--|--|---|--|---------------------------|---|
| 1 | रतलाम | अपराध क्रमांक-0009 धारा 409 दिनांक एफ आई आर दर्ज दिनांक 12-01-2016 | श्रीमती रंजना चौरा वरिष्ठ अध्यापक शा1030गा0सि0 कावूखंडा जिला रतलाम | अपने कार्यालय में एस.एम.डी.सी. मद स राशि 478339/- रुपये एवं शास. उ.मा.वि. कावूखंडा की संस्थागत निधि से 21,24,278/- रुपये कुल राशि 26,02,611/- रुपये की वित्तिप अनियमितता और गदन किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी रतलाम द्वारा दिनांक 12-01-2016 को कावूखंडा थाना में एफ.आई.आर. दर्ज की गई। | 6 | 7 | 8 |
| 2 | रतलाम | अपराध क्रमांक-241 धारा 409/420/467/468/34 दिनांक 08-08-2015 | श्री समीरल्ला खान प्राचार्य उ.मा.वि. क.ने. जावरा जिला रतलाम | प्राचार्य शास. उ.मा.वि. कम्ला नेहरू जावरा के विरुद्ध आहरण वितरण अधिकारी के रूप में ₹30,00,000 का वित्तीय अभियोगिता। कार्यलय द्वारा श्री खान के विरुद्ध सहअभियुक्ता के रूप में दिनांक 08-08-2015 को स्टेशनरीड जावरा जिला रतलाम थाना क्षेत्र में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। | दिनांक एफआईआर दर्ज करने की है। प्रकरण लोकायुक्त/आर्थिक अपराध अन्वेषण यूरो से संबंधित नहीं। | पुलिस विभाग से संबंधित | शास. उ.मा.वि. हाटमिपलिया, जावरा जिला रतलाम अ 93 |
| 3 | रतलाम | अपराध क्रमांक-196 धारा 409/420/467/468/34 दिनांक 12-07-2015 | श्री जगदीश चन्द भोग्य अध्यापक मा0वि.नीगांवाकला, नामली जिला रतलाम | संबंधित के बैंक खाते में शैलेन्द्र सिंह जाटव तत्कालीन सहायक ग्रेड-2 शास. उ.मा.वि. नामली द्वारा राशि 1,63,571/- रुपये जमा करने पर श्री भोग्य द्वारा संकुल पर सूचना न देते हुए राशि का आहरण किया गया। कार्यालय द्वारा 12-07-2015 को नामली थाना में पुलिस प्राथमिकी दर्ज कराई गई। | दिनांक एफआईआर दर्ज करने की है। प्रकरण लोकायुक्त/आर्थिक अपराध अन्वेषण यूरो से संबंधित नहीं। | पुलिस विभाग से संबंधित | शा0प्र10 सि0 डावडिया आलो जिला रतलाम |
| 4 | रतलाम | अपराध क्रमांक-0197 धारा 420/467/468/471/409 दिनांक 12-07-2015 | श्री लक्ष्मण सिंह गईडा शास. वा.उ.मा.वि. आलोट जिला रतलाम | प्राचार्य शास. वा.उ.मा.वि. आलोट एवं प्रभारी विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी आलोट के पद पर रहते हुए भण्डार कर्मियों की घोर अशुभता करते हुए राशि 90,31,524/- के फर्जी ब्याचर विना सामग्री खरीदे आहरण की कार्यवाही करने पर आयुक्त लोक शिक्षण गद्यालय म.प्र. द्वारा निर्दिष्ट किया गया वर्तमान में विभागीय जांच प्रवर्तित। कार्यालय द्वारा आलोट थाना में दिनांक 06-04-2017 को पुलिस प्राथमिकी दर्ज कराई गई। | दिनांक एफआईआर दर्ज करने की है। प्रकरण लोकायुक्त/आर्थिक अपराध अन्वेषण यूरो से संबंधित नहीं। | पुलिस विभाग से संबंधित | वर्तमान में निलंबित |

[23/12/2019]

(Handwritten signature and notes)